संख्या-86/2016/1175/41-2016-139 सा0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2016

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित मां चन्द्रिका देवी के स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-485/6-1-1(575)/2016, दिनांक 29-06-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित मां चन्द्रिका देवी के स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये 05 स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय तथा 02 मिनी ट्रयूवेल (वाटर टैंक एवं पेयजल पोस्ट स्टैण्ड सहित) के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-187.64 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-93.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-97/2015/1171/41-2016-139 सा0/15, दिनांक 08.06.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थित मां चन्द्रिका देवी के स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये 05 स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय तथा 02 मिनी ट्रयूवेल (वाटर टैंक एवं पेयजल पोस्ट स्टैण्ड सहित) के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 93.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shrisantosh.up.nic.in

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(7) योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

संख्या-86/2016/1175(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मानद नियन्त्रक, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन, लखनऊ ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in